



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpccfdevelopment@gmail.com

Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक :- 01/यो0ब0-43/2015(खण्ड-1)- 846

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, खूँटी वन प्रमंडल, खूँटी/  
वन प्रमंडल पदाधिकारी, सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा/  
वन प्रमंडल पदाधिकारी, गुमला वन प्रमंडल, गुमला।

दिनांक :-22/06/2016

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना" (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (कुसमी लाह उत्पादन हेतु कृषकों को संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत लाह कृषकों द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह के माध्यम से) का चालू कार्य (द्वितीय वर्ष) के लिए कुल 53.481 लाख (तिरपन लाख अड़तालीस हजार एक सौ) रुपये मात्र की पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि का ऑन-लाईन उप आवंटन के संबंध में।

प्रसंग :-

वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 04/यो0बजट-68/2015-46 व0प0 दिनांक 19.11.2015 एवं आ0आ0संख्या-4/यो0बजट-68/2015-09 अ0व0प0 दिनांक 22.04.2016 एवं संख्या- 4/यो0बजट-68/2015-44 आ0 व0प0 दिनांक-10.06.2016।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जानेवाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना" (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (कुसमी लाह उत्पादन हेतु कृषकों को संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत लाह कृषकों द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह के माध्यम से) का चालू कार्य (द्वितीय वर्ष) के लिए कुल 53.481 लाख (तिरपन लाख अड़तालीस हजार एक सौ) रुपये मात्र राशि का ऑन-लाईन उप आवंटन उपर्युक्त वर्णित वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 04/यो0बजट-68/2015-46 व0प0 दिनांक-19.11.2015 एवं आ0आ0संख्या-4/यो0बजट-68/2015-09 अ0व0प0 दिनांक-22.04.2016 एवं संख्या- 4/यो0बजट-68/2015-44 आ0 व0प0 दिनांक-10.06.2016 के अन्तर्गत किया जा रहा है।

2. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध निम्न प्रकार लघुशीर्ष/इकाईवार राशि आवंटित किया जाता है :-

(राशि लाख में)

| क्र० सं०        | शीर्ष का नाम                                                                                                                              | प्राथमिक इकाई       | विपत्र कोड         | आवंटित राशि (लाख में) |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| 1               | 2406- वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-09-लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना | मजदूरी              | 19P240601796090103 | 31.953                |
|                 |                                                                                                                                           | आपूर्ति एवं सामग्री | 19P240601796090323 | 20.504                |
|                 |                                                                                                                                           | प्रशिक्षण व्यय      | 19P240601796090335 | 1.024                 |
| कुल आवंटित राशि |                                                                                                                                           |                     |                    | 53.481                |

अर्थात् कुल 53.481 लाख (तिरपन लाख अड़तालीस हजार एक सौ) रुपये मात्र राशि आवंटित की जाती है। ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति संलग्न है।

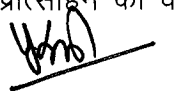
3. वर्तमान आवंटित राशि 53.481 लाख (तिरपन लाख अड़तालीस हजार एक सौ) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन है तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जानेवाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना" (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) बजट मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-09-लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 में अंकित विवरणी के अनुरूप होंगे। राशि की निकासी संबंधित जिला के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

5. स्वीकृत की जा रही राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-301 दिनांक-11.03.2015 के आलोक में वन एवं पर्यावरण विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनांतर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्री पदाधिकारियों यथा वन संरक्षक एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन की सफलता हेतु सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा तथा निरीक्षण प्रतिवेदन/अनुश्रवण प्रतिवेदन नियमित रूप से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने अधीनस्थों एवं नियंत्री पदाधिकारियों को समर्पित करेंगे। एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय को अभिलेख हेतु उपलब्ध करायेंगे।

7. योजना के कार्यान्वयन हेतु लाभुकों/संयुक्त वन प्रबंधन के स्वयं सहायता समूह का चयन करते समय वन प्रमंडल पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन लाभुको/संयुक्त वन प्रबंधन के स्वयं सहायता समूह का चयन उनके द्वारा किया जाएगा वो लाह की खेती हेतु प्रोत्साहन की वन



विभाग/अन्य किसी विभाग/सरकारी एजेंसी द्वारा संचालित योजना से पूर्व में आच्छादित/लाभान्वित नहीं रहे हैं।

8. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक: 2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची से उप आवंटन प्राप्त होने के उपरान्त की जायेगी।

9. राशि की निकासी संबंधित जिला में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जाएगी तथा कोषागार संहिता के नियम सं० 300 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जाएगा।

10. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय को समर्पित की जायेगी।

11. लाह उत्पादन एवं अन्य कार्यों का ऑकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जाएगी।

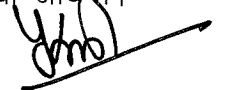
12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

13. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित तत्कालीन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जाएगा।

14. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

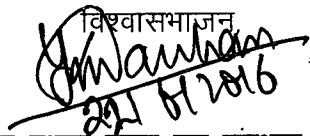
15. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

16. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या-2371 दिनांक-05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनांतर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना संख्या-2371 दिनांक-05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।



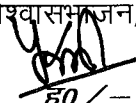
17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित
18. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।
19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों का भुगतान की जानेवाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा।
20. वन प्रमंडलों द्वारा "स्थल विशेष प्राक्कलन" श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं विभागीय कार्य दरों पर तैयार किया जाएगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जाएगी।
21. पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि के अनुसार वन प्रमंडलों को राशि आवंटित की जाएगी, किन्तु योजनाओं का व्यय "स्थल विशेष प्राक्कलन" योजना की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि तक सीमित रखा जाएगा।
22. योजनाओं में उत्पादित लाह पर पूर्णरूपेण ग्राम वन प्रबंधन समिति का यूनिट (इकाई) के व्यक्ति का अधिकार होगा।
23. योजना में अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु राशि उपलब्ध करायी जा रही है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
24. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे। विशेष रूप से को-ऑपरेटिव विभाग द्वारा चलायी जा रही योजना में लाभार्थियों को इस योजना का लाभ भी न लेंगे।
25. संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस राशि का व्यय विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार किया जाएगा।
26. इस योजना के अन्तर्गत किये गये प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्नक-1, कार्य दर अनुलग्नक-2 एवं ऑन-लाईन उप आवंटन अनुलग्नक-3 पर संलग्न है।

**अनुलग्नक :- यथोक्त।**

  
विश्वासभाजन  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित
18. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।
19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों का भुगतान की जानेवाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा।
20. वन प्रमंडलों द्वारा "स्थल विशेष प्राक्कलन" श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं विभागीय कार्य दरों पर तैयार किया जाएगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जाएगी।
21. पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि के अनुसार वन प्रमंडलों को राशि आवंटित की जाएगी, किन्तु योजनाओं का व्यय "स्थल विशेष प्राक्कलन" योजना की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि तक सीमित रखा जाएगा।
22. योजनाओं में उत्पादित लाह पर पूर्णरूपेण ग्राम वन प्रबंधन समिति का यूनिट (इकाई) के व्यक्ति का अधिकार होगा।
23. योजना में अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु राशि उपलब्ध करायी जा रही है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
24. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे। विशेष रूप से को-ऑपरेटिव विभाग द्वारा चलायी जा रही योजना में लाभार्थियों को इस योजना का लाभ भी न लेंगे।
25. संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस राशि का व्यय विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार किया जाएगा।
26. इस योजना के अन्तर्गत किये गये प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्नक-1, कार्य दर अनुलग्नक-2 एवं ऑन-लाइन उप आवंटन अनुलग्नक-3 पर संलग्न है।

**अनुलग्नक :- यथोक्त।**

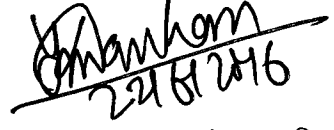
विश्वासभाजन,  
  
हो/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

झापांक :-01/यो0ब0-43/2015(खण्ड-1)- 846

राँची, दिनांक :- 22.06.2016

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

  
22/6/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।



ज्ञापांक :-01/यो0ब0-43/2015(खण्ड-1)- 846

राँची, दिनांक :- 22.06.2016

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

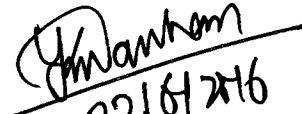
ह0/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :-01/यो0ब0-43/2015(खण्ड-1)- 846

राँची, दिनांक :- 22.06.2016

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, खूँटी/कोषागार पदाधिकारी, सिमडेगा/कोषागार पदाधिकारी, गुमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

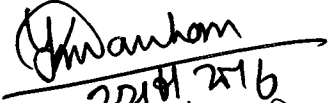
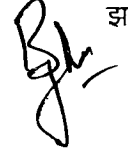
  
22/06/16  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन" योजना (जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत कुसमी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) का द्वितीय वर्ष का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

लाह-पोषक प्रजाति कुसुम के वृक्षों की संख्या-12500 प्रति वन प्रमण्डल (10 वृक्ष प्रति लाभुक परिवार, कुल 1250 लाभुक परिवार (मजदूरी दर ₹0 221.61 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

| क्र. सं. | कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम | संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह की संख्या | वृक्षों की कुल संख्या (100 वृक्ष प्रति समिति) | वित्तीय वर्ष 2016-17 |                     |           |        |
|----------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------|--------|
|          |                             |                                                                  |                                               | मजदूरी               | आपूर्ति एवं सामग्री | प्रशिक्षण | कुल    |
|          |                             |                                                                  |                                               | 7.801                | 5.006               | 0.250     | 13.057 |
| i        | ii                          | iii                                                              | iv                                            | v                    | vi                  | vii       | viii   |
| 1        | खूँटी वन प्रमंडल,           | 125                                                              | 12500                                         | 7.801                | 5.006               | 0.250     | 13.057 |
| 2        | सिमडेगा वन प्रमंडल,         | 250                                                              | 25000                                         | 15.602               | 10.012              | 0.500     | 26.114 |
| 3        | गुमला वन प्रमंडल,           | 137                                                              | 13700                                         | 8.550                | 5.486               | 0.274     | 14.310 |
| योग :-   |                             | 512                                                              | 51200                                         | 31.953               | 20.504              | 1.024     | 53.481 |

  
 22/11/2016  
 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
 झारखण्ड, राँची  


[illegible]

Gyan Ram  
22/04/2016  
आधार प्रदान मुख्य कर्मचारी को।  
आराखण्ड, रैसी।  
*[Signature]*

**आवंटन आदेश**

**झारखण्ड सरकार**

चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/yb-43/2015/846

दिनांक - 22-Jun

| क्रमांक | विपत्र कोड                                                                                                                                                                    | एक्सेस नं० | निकासी एवं व्ययन पदा.                                        | आवंटित राशि                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1       | P 19 240601796090103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना<br>09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी | 39169      | RNCFORK01<br>A.K. GUPTA<br>D.F.O KHUNTI                      | 780,100.00<br>रुपये सात लाख अस्सी हजार एक सैं    |
| 2       | P 19 240601796090103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना<br>09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी | 39170      | SDGFOR002<br>TAJBIR BHAGAT<br>DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD | 1,560,200.00<br>रुपये पंद्रह लाख साठ हजार दो सैं |
| 3       | P 19 240601796090103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना<br>09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी | 39171      | GMLFOR001<br>AJIT KUMAR SINGH<br>D.F.O. GUMLA                | 855,000.00<br>रुपये आठ लाख पचपन हजार             |

योग:

3,195,300.00

क्रमिक योग:

रुपये इकतीस लाख पिनचानवे हजार तीन सौ

  
(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

| क्रमांक | विपत्र कोड                                                                                                                                                                                 | एक्सेस नं० | निकासी एवं व्ययन पदा.                                           | आवंटित राशि                                       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 4       | P 19 240601796090323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना<br>09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 39174      | RNCFORK01<br>A.K. GUPTA<br>D.F.O KHUNTI                         | 500,600.00<br>रुपये पाँच लाख छः सैं               |
| 5       | P 19 240601796090323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना<br>09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 39175      | SDGFOR002<br>TAJBIR BHAGAT<br>DIVISIONAL FOREST<br>OFFICER SIMD | 1,001,200.00<br>रुपये दस लाख एक हजार दो सैं       |
| 6       | P 19 240601796090323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना<br>09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 39176      | GMLFOR001<br>AJIT KUMAR SINGH<br>D.F.O. GUMLA                   | 548,600.00<br>रुपये पाँच लाख अड़तालीस हजार छः सैं |
| 7       | P 19 240601796090335<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना<br>09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>35 - प्रशिक्षण व्यय      | 39177      | RNCFORK01<br>A.K. GUPTA<br>D.F.O KHUNTI                         | 25,000.00<br>रुपये पच्चीस हजार                    |

योग:

2,075,400.00

क्रमिक योग:

रुपये बावन लाख सत्तर हजार सात सैं

5,270,700.00

*(Signature)*  
22/6/2016  
(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

| क्रमांक | विपत्र कोड                                                                                                                                                                            | एक्सेस नं० | निकासी एवं व्ययन पदा.                                                   | आवंटित राशि                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 8       | P 19 240601796090335<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना<br>09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>35 - प्रशिक्षण व्यय | 39178      | SDGFOR002<br><br>TAJBIR BHAGAT<br><br>DIVISIONAL FOREST<br>OFFICER SIMD | 50,000.00<br><br>रुपये पचास हजार            |
| 9       | P 19 240601796090335<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना<br>09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>35 - प्रशिक्षण व्यय | 39179      | GMLFOR001<br><br>AJIT KUMAR SINGH<br><br>D.F.O. GUMLA                   | 27,400.00<br><br>रुपये सत्ताइस हजार चार सैं |

योग:

77,400.00

क्रमिक योग:

रुपये तीरपन लाख अडतालीस हजार एक सौ

5,348,100.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND